अध्याय - IV

जैव-प्रौद्योगिकी विभाग

4.1 जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान, इम्फाल की गतिविधियाँ

जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान, इम्फाल, क्षेत्र के आर्थिक विकास हेतु अपने आरंभ के 15 वर्षों से अधिक अवधि समाप्त होने के बाद भी जैव प्रौद्योगिकीय व्यवधान के द्वारा जैव संसाधन विकास एवं उसके स्थायी उपयोग के अपने उद्देश्य की प्राप्ति में पर्याप्त प्रगति नहीं कर सका।

4.1.1 प्रस्तावना

जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम.एस.टी.) ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु जैव संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए मणिपुर सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम, 1989 के अंतर्गत 2001 में जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान, इम्फाल (आई.बी.एस.डी.) की स्थापना की थी। आई.बी.एस.डी. की स्थापना के प्राथमिक उद्देश्य क्षेत्र के अनूठे जैव विविधता का अध्ययन एवं प्रलेखीकरण करना, क्षेत्र के जैव-संसाधनों के सतत विकास और उपयोग हेतु जैव प्रौद्योगिकीय व्यवधानों का विकास करना तथा क्षेत्र में रोजगार सृजन व आर्थिक प्रगति हेतु प्रौद्योगिकीय पैकेज बनाने थें।

आई.बी.एस.डी. के मामलों का प्रबंधन उसके शासी परिषद (जी.सी.) द्वारा होता है, जबकि नीति, रुपरेखा एवं उसकी गतिविधियों के सामान्य दिशानिर्देशों के निर्णय हेतु आई.बी.एस.डी. का सर्वोच्च निकाय सोसाईटी है। वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एस.ए.सी.) योजना बनाने, नीति-निर्माण एवं अनुसंधान के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान पर संस्थान को सलाह देती है।

डी.बी.टी. ने राजस्व एवं पूँजी हेतु ₹ 82.40 करोड़ का अनुदान जारी किया जिसके विरुद्ध वर्ष 2012-17 की अवधि के दौरान आई.बी.एस.डी. द्वारा ₹ 71.63 करोड़ का व्यय किया गया।

4.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में आई.बी.एस.डी. की शुरुआत से मार्च 2017 तक की उसकी गतिविधियों की समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्ष की चर्चा बाद के पैराग्राफों में की गई है।

4.1.2.1 अत्याधुनिक जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना

इम्फाल में अत्याधुनिक जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान सुविधाओं का सृजन करना आई.बी.एस.डी. के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक था। इस उद्देश्य के लिए आई.बी.एस.डी. ने मणिपुर सरकार से अनुसंधान सुविधा की स्थापना के लिए ₹ 10.18 लाख में हाराओरोऊ में 37.97 एकड़ भूमि अर्जित (नवम्बर 2007) की। शासी परिषद (जी.सी.) ने आई.बी.एस.डी. को प्रस्तावित जैव-संसाधन उद्यान के विकास के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने हेतु प्राधिकृत किया (नवम्बर 2012)। परिणामस्वरूप, एस.ए.सी. (सितम्बर 2013) ने आई.बी.एस.डी. को एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने की सलाह दी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2017 तक आई.बी.एस.डी. द्वारा किसी समिति का गठन नहीं किया गया था, जैसा कि जी.सी. एवं एस.ए.सी. द्वारा सलाह दी गई थी, जिसके कारण जैव-संसाधन उद्यान के विकास का कार्य पूर्ण करने के लिए कोई समयबद्ध कार्ययोजना तैयार नहीं की जा सकी।

इसके अलावा यह पाया गया कि आई.बी.एस.डी. ने उद्यान के विकास हेतु समय-समय पर एस.ए.सी./जी.सी. द्वारा दिए गए अधिकतर सुझावों पर कोई कार्रवाई नहीं की थी, जैसा की ***अनुबंध VIII*** में दिया गया है। अतः भूमि के क्रय के नौ वर्षो से ज्यादा की समाप्ति के बाद भी आई.बी.एस.डी. एक पूर्णतः प्रचालित जैव-संसाधन उद्यान की स्थापना नहीं कर सका।

आई.बी.एस.डी. ने कहा (मई 2017) कि संस्थान के निदेशक के परिवर्तन के कारण समिति का गठन नहीं किया गया था। परियोजना तैयार करने में नौ वर्षों से ज्यादा विलंब होना उत्तर को न्यायोचित नहीं ठहराता है।

4.1.2.2 संस्थागत जैव-संरक्षा समिति का गैर-निर्माण

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.) के निदेशानुसार[22], सूक्ष्मजीवों का संचालन करनेवाले अनुसंधान संस्थानों द्वारा एक संस्थागत जैव-संरक्षा समिति (आई.बी.एस.सी.) गठित की जानी थी। इस समिति में संस्थान के प्रमुख, डी.एन.ए. कार्य में संलग्न वैज्ञानिक, एक चिकित्सा विशेषज्ञ एवं एक डी.बी.टी. का मनोनीत व्यक्ति शामिल होगा। सूक्ष्मजीवों वाले अनुसंधान संस्थानों को आई.बी.एस.सी. के सहयोग से एक अद्यतन प्रत्यक्ष स्थल आपातकालीन योजना तैयार करनी चाहिए। इसके अलावा, जीन प्रौद्योगिकी अथवा सूक्ष्मजीवों के क्षेत्र में

---

[22] विनिर्माण, प्रयोग, निर्यात, आयात एवं खतरनाक सूक्ष्मजीवों, अनुवांशिक रूप से इनजीनियर्ड सूक्ष्मजीवों अथवा कोशिकाओं का संचयन नियम 1989 का नियम 4(3), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली नोटिफिकेशन दिनांक 5 दिसम्बर 1989।

प्रयोगों को प्रयोगशालाओं के बाहर, किन्तु आई.बी.एस.सी. के पर्यवेक्षण में किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि आई.बी.एस.डी. ने सूक्ष्मजीवों, जिन्हें विविध जोखिम वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, के अंतर्गत पशु/मानव रोगाणुओं एवं वनस्पति कीटों पर आंतरिक अनुसंधान गतिविधि संचालित की, तथापि उसने मार्च 2017 तक आई.बी.एस.सी. का गठन नहीं किया था। परिणामस्वरूप, संस्थान द्वारा आपातकालीन कार्य योजना भी नहीं तैयार किया गया। आई.बी.एस.डी. ने ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनस पर बहु-स्थानीय क्षेत्र परीक्षण प्रयोग भी आई.बी.एस.सी. के पर्यवेक्षण के बिना ही किया।

आई.बी.एस.डी. ने कहा (अगस्त 2017) कि यद्यपि उसने किसी आई.बी.एस.सी. का गठन नहीं किया, तथापि संक्रामक घटकों या जैविक घटकों के साथ काम करने वाले व्यक्ति संभावित खतरों, जैव-खतरा प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं के बारे में जानते थें और इस तरह के घटकों को सुरक्षित तरीके से संभालने के लिए आवश्यक पद्धतियों और तकनीकों में पर्याप्त कुशल थें। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खतरनाक सूक्ष्मजीवों के उपयोग और भंडारण पर सरकारी नियमों को अनिवार्य रूप से सभी संस्थानों द्वारा कार्यान्वित किया जाना आवश्यक था।

4.1.2.3 जैव-संसाधन डेटाबेस और जैव-सूचना विज्ञान में परिष्कृत प्रणाली की अनुपलब्धता

आई.बी.एस.डी. के जैव-संसाधन डाटाबेस और जैव-सूचना विज्ञान प्रभाग को उन्नत गणनात्मक उपकरणों और तकनीकों तथा संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए बायोइनफॉरमैटिक्स नेटवर्क का उपयोग करके एन.ई.आर. के जैव संसाधनों का प्रलेखीकरण प्रदान करना अनिवार्य है। एस.ए.सी. ने आगे के इन-सिलिको विश्लेषण हेतु जैविक गतिविधि अध्ययन मॉड्यूल के एकीकरण का सुझाव (जून 2011) दिया। प्रभाग के कोर अनुसंधान गतिविधियों हेतु इन-सिलिको डेटा एनोटेशन के लिए यह मॉड्यूल आवश्यक था। जैव-सूचना विज्ञान विभाग ने 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 और 2016 के दौरान इन-सिलिको विश्लेषण हेतु परिष्कृत प्रणाली की खरीद के लिए मांग प्रस्तुत की थी, लेकिन मार्च 2017 तक उसकी खरीद नहीं की गई थी।

इस प्रकार, परिष्कृत प्रणाली के अभाव के कारण, संस्थान के एस.ए.सी. के सलाह के अनुसार इन-सिलिको विश्लेषण नहीं किया गया था, जिसके कारण अनुसंधान गतिविधियाँ अप्राप्य रही।

4.1.2.4 जैव विविधता का अध्ययन और प्रलेखीकरण

आई.बी.एस.डी. की अनुसंधान गतिविधियां चार प्रमुख क्षेत्रों जैसे (क) औषधीय पौधों और बागवानी संसाधनों, (ख) माइक्रोबियल संसाधन, (ग) पशु संसाधन, और (घ) जैव संसाधन डाटाबेस और जैव-सूचना विज्ञान के अंतर्गत तैयार की गई हैं। क्षेत्र के अनूठे जैव-संसाधनों के विकास और उस क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उनके सतत उपयोग के मिशन की पूर्ति के लिए आई.बी.एस.डी. ने एन.ई.आर. के विशाल जैव विविधता के अध्ययन और प्रलेखीकरण पर विभिन्न कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व लिया। आई.बी.एस.डी. को क्षेत्र के समृद्ध जैव विविधता का संरक्षण करना भी अनिवार्य है।

(i) जैव-संसाधनों का अपर्याप्त सर्वेक्षण, संग्रहण तथा प्रलेखीकरण

आई.बी.एस.डी. द्वारा जैव-संसाधनों पर किए गए सर्वेक्षण, संग्रहण तथा प्रलेखीकरण की स्थिति तालिका 4.1 में संक्षेप में दी गई है।

तालिका 4.1: जैव-संसाधनों का सर्वेक्षण, संग्रहण तथा प्रलेखीकरण

जैव-संसाधन	कार्यक्रम / सर्वेक्षण	स्थिति
वनस्पति जैव-संसाधन	आई.बी.एस.डी. ने 2003 में वनस्पति जैव-संसाधन अनुसंधान क्षेत्र के तहत "इंडो-बर्मा जैव-विविधता वाले हॉटस्पॉट में पौधे की संपत्ति के सर्वेक्षण, संग्रह और मूल्यांकन" पर एक कार्यक्रम चलाया। इसके उद्देश्य थे - (i) जैव-विविधता की सूचीबद्धता और निगरानी एवं दुर्लभ/संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए संरक्षण रणनीतियों को शामिल करना; (ii) क्षेत्र की महत्वपूर्ण कृषि फसलों में संग्रहण, पहचान, प्रलेखीकरण एवं विविधता अध्ययन; तथा (iii) महत्वपूर्ण बागवानी और औषधीय वनस्पति प्रजातियों के औषधि संग्रहालय का अनुरक्षण करना।	क. संस्थान द्वारा, पूर्वोत्तर भारत के ऑर्किड के 249 प्रजातियों में से केवल 18 प्रजातियां, जो कि 7.23 प्रतिशत हैं, का संग्रह और अनुरक्षण किया गया है। ख. तद्यपि पूर्वोत्तर भारत के पूरे बांस के जर्मप्लाज्म के प्रलेखीकरण के लिए एस.ए.सी. ने सिफारिश (अप्रैल 2002) की थी, तथापि कोई अध्ययन शुरू नहीं किया गया था। ग. केवल मणिपुर की साइट्रस प्रजातियां संग्रहित की गई थी, हालांकि पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। घ. एस.ए.सी. (सितंबर 2007) ने संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत में कपास की भूमि संततियों का दस्तावेजीकरण करने की सिफारिश की थी, लेकिन अध्ययन की शुरूआत को दर्शानेवाला कोई भी दस्तावेज रिकॉर्ड में नहीं था।

जैव-संसाधन	कार्यक्रम / सर्वेक्षण	स्थिति
		ङ. केवल एक ही परिवार के पौधें जिंगबेरेसिया (अदरक परिवार) का सर्वेक्षण और संग्रहण तथा टैक्सोनोमिक पहचान लगभग पूरा हो पाया था। इस परिवार के 88 प्रजातियों में से 76 प्रजातियां, जो 87.5 प्रतिशत है, का संग्रहण तथा संस्थान में अनुरक्षण किया गया है।
पशु जैव-संसाधन	2004-05 के दौरान, आई.बी.एस.डी. ने मत्स्य पालन एवं अलंकारिक मूल्य के लिए भारत-बर्मा क्षेत्र से मछली के संग्रह के कार्यक्रम का उत्तरदायित्व लिया।	क. केवल मणिपुर से मछली की 77 प्रजातियां संग्रहित की गई और आई.बी.एस.डी. में अनुरक्षित की गईं, जबकि पूरे पूर्वोत्तर भारत में प्रजातियों का संग्रह नहीं किया गया। ख. पूर्वोत्तर भारत में उपलब्ध 136 स्थानिक मछलियों में से अभी तक केवल 21 स्थानिक प्रजातियां, जो कि 15.44 प्रतिशत हैं, संग्रहित की गई थी।
	सोसाइटी की दसवीं बैठक (नवंबर 2010) में, आई.बी.एस.डी. हेतु सिफारिश की गई कि मणिपुर के जिरिबम इलाके में प्रचलित विभिन्न सांपों की आबादी की विविधता अध्ययन एवं प्रलेखीकरण करने और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के खाद्य घोंघों के पोषक विश्लेषण पर अध्ययन करे।	ऐसा कोई अध्ययन मार्च 2017 तक शुरू नहीं किया गया। आई.बी.एस.डी. ने बताया (मई 2017) कि उसने साँप की दो प्रजातियों पर साँप के जहर का अध्ययन किया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह अध्ययन सोसाइटी की सिफारिश के अनुरूप नहीं है।
नृजाति औषधीय[23] (एथनो फार्माकोलोजिकल) सर्वेक्षण और	आई.बी.एस.डी. ने, अन्य उद्देश्यों में से, पूर्वोत्तर भारत के परंपरागत/लोककथाओं में प्रयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण औषधीय और सुगंधित पौधों के सर्वेक्षण और	आई.बी.एस.डी. केवल नृजाति औषधीय सर्वेक्षण को पूरा कर सका जिसमें 2009-10 में किए गए कार्यक्रम के एक भाग के रूप में मणिपुर के नौ घटक जिलों की पारंपरिक चिकित्सा पर औषधीय और

[23] विभिन्न नृजाति या सांस्कृतिक दलों द्वारा चिकित्सीय, विशेषकर लोक उपचारों, रूप से प्रयोग किए जानेवाले वैज्ञानिक अध्ययन पदार्थ।

जैव-संसाधन	कार्यक्रम / सर्वेक्षण	स्थिति
प्रलेखीकरण	प्रलेखीकरण का निष्पादन करने के उद्देश्य के साथ एक कार्यक्रम का उत्तरदायित्व (2004-05) लिया। आई.बी.एस.डी. ने मणिपुर के पारंपरिक/लोककथाओं के आधार पर पद्धतियों के नृजाति औषधीय सर्वेक्षण और प्रलेखीकरण के उद्देश्य से एक अन्य कार्यक्रम की शुरूआत की (2009 -10)। एस.ए.सी. ने संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत में परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों की वैधता और सुरक्षा की पुष्टि करने का सुझाव दिया (जून 2011)। एस.ए.सी. ने इसके अलावा, भारत के व्यापक रूप से परिचालित पत्रिका में नृजाति औषधीय सर्वेक्षण का सारांश प्रकाशित करने और पुस्तिका/ब्रोशर/सीडी के रूप में, एक डाटाबेस को तैयार करने का सुझाव दिया (अगस्त 2013)।	सुगंधित पौधों को शामिल किया था। आई.बी.एस.डी. ने मणिपुर को छोड़कर पूर्वोत्तर भारत के अन्य राज्यों का नृजाति औषधीय सर्वेक्षण और प्रलेखीकरण नहीं किया।

इस प्रकार लगभग 15 वर्षों की अवधि समाप्त होने के बाद भी, आई.बी.एस.डी. पर्याप्त रूप से एन.ई.आर. के अनूठे जैवविविधता का सर्वेक्षण, पहचान और प्रलेखीकरण नहीं कर सका जैसा कि इसके उद्देश्य द्वारा अधिदेशित और इसकी समितियों द्वारा अनुशंसित था।

(ii) जैव-संसाधनों की पहचान हेतु वर्गीकरण वैज्ञानिक (टैक्सोनॉमिस्ट) की कमी

सितम्बर 2004 में की गई तृतीय एस.ए.सी. बैठक सितंबर में क्षेत्र के स्थानिक तथा अन्वेषित वनस्पति प्रजातियों के अनुसंधान गतिविधियों की शुरुआत करने से पहले उन प्रजातियों के वर्गीकरणात्मक पहचान की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसके अलावा, एस.ए.सी. की सितम्बर 2007 की बैठक में यह पाया गया कि वर्गीकरण वैज्ञानिकों की संख्या में गिरावट जैव-विविधता अनुसंधान में एक प्रमुख समस्या रही है तथा इसे देखते हुए सही व्यक्तियों को ढूढ़ा जाना आवश्यक है।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि आई.बी.एस.डी. के पास केवल एक वनस्पति वर्गीकरण वैज्ञानिक था। 2004-05 से 2016-17 की अवधि के दौरान कुल 946 वनस्पति प्रजातियां संग्रहित की गई थीं जिसमें से लगभग 669 प्रजातियों की

टैक्सोनॉमिक रूप से पहचान की गई जिससे लगभग 30 प्रतिशत प्रजातियां अपरिचित रह गईं। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि पशु जैव-संसाधन प्रभाग, जिसके अंतर्गत पूर्वोत्तर भारत के कीटों और मत्स्य संसाधनों पर शोध किया गया था, के पास भी कोई पशु वर्गीकरण वैज्ञानिक नहीं था। कीट प्रभाग ने टैक्सोनोमिक पुस्तकों का उपयोग कर टैक्सोनोमिक पहचान की तथा अपने नमूनों को अन्य संस्थानों में उचित पहचान के लिए भेजा। 2016-17 तक, संग्रहित 41 प्रजातियों में से इस प्रभाग द्वारा 33 प्रजातियों की पहचान की गई थी। इसी प्रकार, मत्स्य संसाधन प्रभाग ने अपने द्वारा संग्रहित 77 प्रजातियों में से 68 प्रजातियों की पहचान की।

इस प्रकार, वर्गीकरण वैज्ञानिकों की कमी के कारण, संग्रहित प्रजातियों की पहचान पूरी नहीं हो पाई। फलस्वरूप, पूर्वोत्तर क्षेत्र के अद्वितीय जैव संसाधनों के अध्ययन और प्रलेखीकरण के लिए आई.बी.एस.डी. के उद्देश्य को पूर्णत: हासिल नहीं किया जा सका।

(iii) संरक्षण के अपर्याप्त प्रयास

एस.ए.सी. ने संपूर्ण एन.ई.आर. जैव-संसाधनों के संरक्षित किए जाने योग्य प्रजातियों का पता लगाने के लिए रणनीति विकसित करने का सुझाव (जनवरी 2007) दिया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आई.बी.एस.डी. के पास यह दर्शाने के लिए कोई जानकारी नहीं थी कि जैव-संसाधनों का पता लगाया गया था। एस.ए.सी./जी.सी./सोसाईटी ने समय-समय पर (नवंबर 2004 से नवंबर 2005 तक) जैव संसाधनों के संरक्षण पर सुझाव दिए थे। आई.बी.एस.डी. द्वारा इन सुझावों पर उठाए गए कदमों का विवरण नीचे दिया गया है।

क. क्षेत्र के अनूठे जर्मप्लाज्म के दीर्घकालीन संरक्षण के लिए, सोसाइटी ने आई.बी.एस.डी. को कोर संग्रह के रूप में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज[24] (एन.बी.पी.जी.आर.), नई दिल्ली में इसके द्वारा एकत्रित जर्मप्लाज्म नमूनों के एक सेट को जमा करने का सुझाव (नवंबर 2004) दिया। जी.सी. ने इसकी आवश्यकता पुन: दोहराया, जिसमें आई.बी.एस.डी. को आगे शिलांग में एन.बी.पी.जी.आर. के रीजनल स्टेशन में हल्दी और अदरक के एलिट जीनोटाइप को जमा करने की सलाह (नवंबर 2005) दी। आई.बी.एस.डी. ने बताया (मई 2017) कि उनके पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो दर्शाता है कि आई.बी.एस.डी. ने सोसाइटी के निर्देशों पर कोई कार्रवाई नहीं की है।

[24] भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज (एनबीपीजीआर) वनस्पति अनुवांशिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नोडल एजेंसी है।

ख. आई.बी.एस.डी. ने 2005-06 के दौरान 10 ऑर्किडों का संकरण किया। इन संकर ऑर्किडों के संरक्षण के लिए, एस.ए.सी. ने आई.बी.एस.डी. को प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराईटीज एंड फार्मर् राईट्स ऑथोरीटी[25] के साथ उसका पंजीकरण करने की सलाह (जनवरी 2007) दी। आई.बी.एस.डी. ने बताया (मई 2017) कि दो संकर ऑर्किडों के पंजीकरण के लिए प्रयास जारी हैं।

ग. आई.बी.एस.डी. ने मछलियों की 77 प्रजातियां संग्रहित की तथा उनका मछलीघर में अनुरक्षण किया। इन 77 मछलियों में से 21 प्रजातियों को खतरे मे/अरक्षित/लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह पाया गया कि इन 21 प्रजातियों में से केवल सात प्रजातियों के लिए ही संरक्षण के प्रयास किए गए थे।

घ. सोसाइटी ने सुझाव दिया (नवंबर 2005) कि केवल लुप्तप्राय और अरक्षित औषधीय पौधों, जो विलुप्त होने के कगार पर थें, के संरक्षण के लिए चयन तथा सतत प्रयास किए जाने चाहिए। आई.बी.एस.डी. ने बताया (मई 2017) कि इस संबंध में किए गए कार्यों पर उनके पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी।

उपरोक्त टिप्पणियां दर्शाती है कि आई.बी.एस.डी. ने जैव-संसाधनों के मानचित्रण और संरक्षण के लिए कोई रणनीति विकसित नहीं की। आई.बी.एस.डी. ने इस संबंध में विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा की गई सिफारिशों पर भी कार्रवाई नहीं की।

4.1.2.5 जैव-प्रौद्योगिकी व्यवधान का विकास

दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण जैविक रूप से संवेदनशील हॉटस्पॉट होने के नाते, एन.ई.आर. कई नए और नवीन जीन पूलों के विकास का एक सक्रिय केंद्र है। इन जीन पूलों में बहुमूल्य घटक और जीन होते हैं जो सूखा, ठंड, तुषार, रोगाणुओं और कीटों को सहिष्णुता प्रदान कर सकते हैं। आई.बी.एस.डी. यह सुनिश्चित करने में एक भूमिका निभाने के लिए बनाई गई है कि समृद्ध जैव-संसाधन, उत्पाद तथा प्रक्रिया अर्थात् प्रौद्योगिकी में परिवर्तित किए जाए।

आई.बी.एस.डी. ने उत्पाद और प्रौद्योगिकी के विकास के उद्देश्य से 30 कार्यक्रम अपने हाथ में लिए। इनमें से नौ वनस्पति जैव-संसाधन प्रभाग द्वारा, 19 माइक्रोबियल संसाधन प्रभाग द्वारा तथा दो कार्यक्रम पशु संसाधन प्रभाग द्वारा किए गए।

---

[25] प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराईटीज एंड फार्मर् राईट्स ऑथोरीटी, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराईटीज एंड फार्मर् राईट्स अधिनियम, 2001 (पीपीवीएफआर) के अंतर्गत स्थापित की गई है। पीपीवीएफआर भारत की संसद का एक ऐसा अधिनियम है जो वनस्पति विविधताओं के संरक्षण, किसानों व ब्रीडर्स के अधिकारों हेतु एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना करने और पौधों के नए प्रकारों के विकास एवं खेती को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया था।

लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि आई.बी.एस.डी. के उद्भव से अब तक आठ प्रौद्योगिकियों ***(परिशिष्ट IX)*** विकसित की गई थी परंतु उनमें से किसी का भी औद्योगिक हस्तानांतरण नहीं किया गया। इसके अलावा, इसके प्रारंभ से ***(परिशिष्ट X)*** केवल तीन पेटेंट ही दायर किए गए थे परंतु इनमें से किसी को भी अंतिम रूप से मंजूरी नहीं मिली थी। उपरोक्त के अलावा एस.ए.सी. ने समय-समय पर उत्पाद/प्रौद्योगिकी विकास के लिए विशिष्ट शोध गतिविधि चलाये जाने का सुझाव दिया था, जिसका विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट XI*** में दिया गया है। हालांकि, यह पाया गया कि एस.ए.सी. के सिफारिशों पर आई.बी.एस.डी. द्वारा कोई उत्पाद/प्रौद्योगिकी विकसित नहीं की गई।

इस प्रकार, जैव-संसाधनों के सतत उपयोग हेतु जैव-प्रौद्योगिकी के प्रयोग का उद्देश्य काफी हद तक अप्राप्य रहा। एस.ए.सी. के सिफारिशों पर कार्रवाई करनें में असफल होने की वजह से समिति द्वारा निगरानी तथा समीक्षा के उद्देश्य को प्राहय नहीं हो सके।

4.1.2.6 तकनीकी पैकेजों का निर्माण

सोसाईटी ने अपने सातवें बैठक (अक्तूबर 2007) में सिफारिश की कि संस्थान को अनुसंधान योजना के प्रारंभिक चरणों में ही उद्योगों को शामिल करना चाहिए तथा उत्पादों के विकास के लिए जिनका कि बाजार में मांग है, को अपने जैव-संसाधनों में उपयोग करते हुए, संस्थान को कुछ स्थानीय उद्यमियों को सम्मिलित रूप से काम करने के लिए साथ लाना चाहिए। सोसाईटी के सातवें बैठक में कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार, आई.बी.एस.डी. ने दो निजी प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर दो अलग-अलग संयुक्त परियोजनाओं का संचालन किया। हालांकि, इन दो परियोजनाओं का परिणाम रिकॉर्ड में नहीं था। इसके अलावा सोसाईटी के नौवें बैठक (नवम्बर 2009) में यह सुझाव दिया गया कि आई.बी.एस.डी. को उपयोगी उत्पाद एवं प्रक्रिया समाज को प्रदान करने के लिए पब्लिक-प्राईवेट-पार्टनरशीप (पी.पी.पी.) मोड पर कार्यक्रमों को विकसित करना चाहिए। जी.सी. नें अपने चौदहवें बैठक (नवम्बर 2014) में संस्थान द्वारा पीपीपी के सृजन की स्वीकृति प्रदान की। हालांकि, कोई भी दस्तावेज रिकॉर्ड में नहीं था जिससे पता चले कि आई.बी.एस.डी. द्वारा पीपीपी मोड कार्यक्रमों को संचालित किया गया था।

मामले को विभाग (अक्तूबर 2017) के पास भेजा गया था; दिसम्बर 2017 तक उनके जवाब की प्रतीक्षा थी।

4.2 पदोन्नति तथा हकदारी की अनियमित मंजूरी

राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्र, पुणे ने लचीली पूरक योजना के अंर्तगत वैज्ञानिक स्टॉफ के पदोन्नति तथा विदेश दौरों के मामले में सरकारी नियम तथा आदेशों का पालन नहीं किया। परिणामस्वरुप सरकारी निर्देशों के उल्लंघन में वेतन, यात्रा भत्ता तथा विदेश दौरों हेतु कुल ₹ 93.26 लाख का अनियमित भुगतान हुआ।

4.2.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्र (एन.सी.सी.एस.), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.) का एक स्वायत्त संस्थान है, जो पशु कोशिका कल्चर्स के राष्ट्रीय कोष के रूप में, कोशिका जीवविज्ञान में अनुसन्धान तथा मानव संसाधन विकास में कार्य करता है। 31 मार्च 2017 को एन.सी.सी.एस. में 197[26] की संस्वीकृत संख्या के समक्ष 146 कर्मिक कार्य कर रहे थे।

कर्मियों के प्रबंधन और हकदारी लाभों की लेखापरीक्षा में मौजूदा नियमों से विचलन सामने आया जैसा कि आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई हैं।

4.2.2 पदोन्नतियाँ

पाँचवे वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी विभागों में वैज्ञानिकों/तकनीकी कार्मिकों की स्व-स्थाने पदोन्नति हेतु मौजूदा लचीली पूरक योजना (एफ.सी.एस.)[27] में संशोधन कर कार्यालय ज्ञापन जारी (नवम्बर 1998) किया।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित का अवलोकन किया:-

(i) कार्यकाल अवधि के पूर्ण होने से पूर्व पदोन्नति

डी.ओ.पी.टी. का कार्यालय ज्ञापन (ओ.एम.), विभिन्न वैज्ञानिक पदनामों हेतु विशेषकर मेधावी अभ्यर्थियो के लिए किसी एक अवसर पर एक वर्ष से ज्यादा नहीं तथा पूर्ण कार्यकाल में अधिकतम दो अवसरों तक सीमित कर, छूट के साथ, न्यूनतम कार्यकाल अवधि को उल्लिखित करता है। कार्यालय ज्ञापन के अनुसार वैज्ञानिक-ई से वैज्ञानिक-एफ तक तथा तत्पश्चात वैज्ञानिक-जी तक पदोन्नति हेतु निर्धारित न्यूनतम कार्यकाल अवधि पॉच वर्ष थी। हालाँकि डी.ओ.पी.टी. कार्यालय ज्ञापन के उल्लंघन में, दो

---

[26] मार्च 2017 तक 197 की संस्वीकृत संख्या (वैज्ञानिक-55, तकनीकी-94 और प्रशासनिक-48) के समक्ष 146 कार्मिक (वैज्ञानिक-32, तकनीकी-72 और प्रशासनिक-42) कार्य कर रहे थे।

[27] विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों में ग्रुप-क के वैज्ञानिक पदों वाले वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविदों और जो वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक गतिविधियों और सेवाओं में लगे हुए हैं, के लिए एक स्वस्थानी प्रोत्साहन योजना।

वैज्ञानिकों[28] को उनकी कार्यकाल अवधि में डेढ़ वर्ष से दो वर्ष की छूट के साथ वैज्ञानिक ई से वैज्ञानिक एफ पर पदोन्नत किया। यह देय तिथियों से पहले वैज्ञानिक जी पर आगामी पदोन्नतियों की वजह भी बना। परिणामस्वरूप, दो वैज्ञानिकों को ₹ 1.56 लाख के वेतन तथा भत्तों का अनियमित भुगतान हुआ।

एन.सी.सी.एस. ने कहा (नवम्बर 2017) कि इसके मौजूदा नियुक्ति तया पदोन्नति नियमों के अनुसार एन.सी.सी.एस. की मूल्यांकन समिति, कार्यकाल अवधि में छूट की सिफारिश के लिए सक्षम प्राधिकारी थी तथा इसकी वैज्ञानिकों की पदोन्नति करने वाली संस्तुतियां निदेशक द्वारा अनुमोदित थी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एन.सी.सी.एस. के नियुक्ति तथा पदोन्नति प्रावधान, न्यूनतम कार्यकाल अवधि पर डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन का उल्लंघन नहीं कर सकते थे।

(ii) पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ पदोन्नति की मंजूरी

डी.ओ.पी.टी. ने स्पष्ट किया (जुलाई 2002) कि एफ.सी.एस. में पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ पदोन्नति मंजूर नहीं की जा सकती हे तथा सितम्बर 2012 में आगे यह कहते हुए दोहराया कि सामयिक मूल्यांकन जैसा कि एफ.सी.एस. दिशा निर्देशों में निर्धारित है, के बिना पूर्वव्यापी तिथि से पदोन्नति लाभ देना, सख्त मूल्यांकन पर एन.सी.सी.एस. निर्देशों की भावना को कमजोर करेगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 5,400 से ₹ 10,000 की रेंज वाले ग्रेड पे (जी.पी.) में पूर्वव्यापी रूप से एफ.सी.एस. के अंर्तगत वैज्ञानिक वर्ग वाले 19 कर्मचारियों को पदोन्नति/वित्तीय उन्नयन मंजूर किया गया, परिणामस्वरुप, योजना के लाभार्थियों को ₹ 16.96 लाख का अयोग्य भुगतान हुआ।

एन.सी.सी.एस. ने विस्तृत तथा अधिक समय लेने वाले मामलों की जांचों के हवाले से पदोन्नति की मंजूरी में हुई देरी के आधार पर पूर्वव्यापी रूप से भुगतान को न्यायोचित ठहराया (नवम्बर 2017)।

औचित्य तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि योजना के अंर्तगत अधिसूचित नियमों में एक वर्ष में दो बार चयन समिति/मूल्यांकन बोर्ड द्वारा पदोन्नति की समीक्षा का प्रावधान शामिल है तथा मामलों का मूल्यांकन पदोन्नति की देय तिथि से पहले पूरा किया जाना चाहिए जैसा कि सितम्बर 2012 में डी.ओ.पी.टी. दारा दोहराया गया था।

[28] नवंबर 2007 में पदोन्नत श्री ए.के. साहू एवं अप्रैल 2006 में पदोन्नत श्री देवाशीष मित्रा।

4.2.3 हकदारी

4.2.3.1 विदेश दौरों की ओर अस्वीकार्य व्यय

वित्त मंत्रालय (एम.ओ.एफ.) ने व्यय प्रबंधन तथा मितव्ययता उपाय हेतु दिशानिर्देशो को शामिल कर आदेश जारी किए (जुलाई 2011, मई 2012 तया सितम्बर 2013) जो अन्य बातों के साथ-साथ बताते हैं कि विदेशों में कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन/पेपर के प्रस्तुतीकरण के केवल वे प्रस्ताव जो प्रायोजक एजेंसियो दारा पूर्णत: वित्तपोषित हे, के अलावा सरकारी खर्च पर किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने आगे स्पष्ट (अगस्त 2011) किया कि ये आदेश, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त निकायों पर लागू थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2011-14 के दौरान, एन.सी.सी.एस. के कर्मचारी विदेश में कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन/पेपर के प्रस्तुतीकरण के लिए गए जिस पर एन.सी.सी.एस. ने अपनी निधि से ₹ 27.05 लाख खर्च किए।

एन.सी.सी.एस. ने कहा (नवंबर 2017) कि 2013 तक, विदेश दौरे हेतु व्यक्तिगत वैज्ञानिकों के मामले प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात डी.बी.टी. के अनुमोदन हेतु भेजे गए। डी.बी.टी. ने यह प्राधिकार एन.सी.सी.एस., निदेशक को सौंप दिया (फरवरी 2013) था। तदनुसार विदेश दौरों के मामले, अनुसंधान में वैज्ञानिकों की आवश्यकता/महत्ता को ध्यान में रखते हए संस्वीकृत किए गए, ताकि जानकारी, निपुणता व प्रदर्शन में कमी को पूरा किया जा सके।

इस तरह के विदेश दौरों को मना करने संबंधी जी.ओ.आई. निर्देशो के संदर्भ में उत्तर तर्कसंगत नहीं है।

4.2.3.2 यात्रा भत्ता का अस्वीकार्य भुगतान

वित्त मंत्रालय ने ए1/ए शहरों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए स्लैब-वार यात्रा भत्ता ₹ 3,200, ₹ 1,600 तथा ₹ 600 और मँहगाई भत्ता (डी.ए.) सहित तथा अन्य शहरों में रहने वाले कर्मचारियों हेतु ₹ 1,600, ₹ 800 तथा ₹ 400 और डी.ए. सहित की सहमति दी (अगस्त 2008)। आगे यह अनुबंधित किया गया कि ₹ 10,000 तथा ₹ 12,000 ग्रेड पे लेने वाले तथा एच.ए.जी.+स्केल वाले अधिकारी, जो कार्यालय ज्ञापन दिनांक जनवरी 1994 के अनुसार कार्यालयीन कार प्रयोग करने के हकदार थे, को उनके लिए मौजूदा सुविधा का लाभ उठाने या प्रतिमाह ₹ 7,000 की दर से यात्रा भत्ता डी.ए. सहित का विकल्प दिया जाएगा तथा केवल सांविधिक/स्वायत्त निकाय के मुख्य कार्यकारी स्टाफ कार हेतु हकदार है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया (अगस्त 2016) के कथित कार्यालय आदेश दिनाक जनवरी 1994 के अनुसार स्टाफ कार के लिए गैर हकदार अधिकारी ₹ 7,000 के यात्रा भत्ता जमा डी.ए. हेतु योग्य नहीं है

चाहे वे क्रियाशील एसीपी योजना या गैर कार्यात्मक उन्नयन योजना के अंतर्गत पी.बी.-4 में ₹ 10,000 के ग्रेड पे ले रहे है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 7,000 के यात्रा भत्ते की उच्च दर 13 कर्मचारियों को मंजूर की गई जो मौजूदा सरकारी निर्देशो के अनुसार स्टाफ कार के हकदार नहीं थे। परिणामस्वरूप इन कर्मचारियो को ₹ 47.69 लाख के यात्रा भत्ते का अधिक भुगतान हुआ।

एन.सी.सी.एस. ने कहा (नवम्बर 2017) कि ₹ 7,000 के उच्च यात्रा भत्ते तथा डी.ए. को गैर-हकदार कर्मचारियों के लिए बंद कर दिया गया है। इन कर्मचारियों को पहले भुगतान की जा चुकी अतिरिक्त राशि की वसूली के सम्बन्ध में एन.सी.सी.एस. ने जानकारी दी कि मामला डी.ओ.पी.टी. को सौंपा गया है।

मामला, विभाग को सूचित किया गया (अक्टूबर 2017); मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

4.3 स्टाफ आवास के निर्माण हेतु खरीदी गई भूमि का गैर-उपयोग

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, स्टाफ आवास के निर्माण के लिए ₹ 3.93 करोड़ की कीमत पर अधिग्रहित भूमि का 17 वर्ष बीतने के पश्चात भी प्रयोग में लाने में असफल रहा, परिणामस्वरुप, निर्माण में देरी के कारण जुर्माने के तौर पर ₹ 35.89 लाख का परिहार्य व्यय तथा ₹ 41.14 लाख जुर्माने की लंबित देनदारी हुई।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (एन.आई.आई.), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय, ने अपने स्टाफ की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण डी.डी.ए. से द्वारका, नई दिल्ली में 8,094 वर्गमीटर की भूमि के माप वाले प्लाट को अधिग्रहित किया (जुलाई 1998)। एन.आई.आई. ने डी.डी.ए. को भूमि की कीमत के तौर पर ₹ 2.64 करोड़[29] का भुगतान किया (सितम्बर 1998 तथा मार्च/अप्रैल 1999) तथा मई 2000 में भौतिक कब्जा लिया।

डी.डी.ए. द्वारा जारी आबंटन पत्र की नियम व शर्तों के अनुसार, निर्माण कार्य, प्लाट पर कब्जा करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के अंदर अर्थात् मई 2002 तक पूरा किया जाना था। एन.आई.आई. से, निर्माण-स्थल पर कब्ज़े की सुपुर्दगी की तिथि से भूमि किराया जो कि 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भूमि की किश्त पर देय था, का भुगतान भी अपेक्षित था।

[29] ₹ 2.58 करोड़ प्रीमियम एवं ₹ 6.44 लाख के भूमि किराए सहित।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एन.आई.आई. ने फरवरी 2004 तक परियोजना की प्रगति के लिए किसी कार्यवाही की पहल नहीं की, जब इसने स्टाफ आवास के लिए आरेखण/बिल्डिंग योजना/आकलन को तैयार करने हेतु एक वास्तुकार को संपर्क किया। वास्तुकार ने एन.आई.आई. को सूचित किया (अप्रैल 2004) कि चूँकि डी.डी.ए. को स्टाफ आवास के निर्माण के लिए दिया गया समय समाप्त हो चुका था, समय-वृद्धि, डी.डी.ए. से प्राप्त की जानी थी। तदनुसार, एन.आई.आई. ने कार्य समापन हेतु समय बढ़ाने के लिए डी.डी.ए. से संपर्क किया (जून 2006)। डी.डी.ए. ने निर्माण गतिविधियों को पूरा करने के लिए दिसम्बर 2008 तक समय सीमा बढाने की मंजूरी (जून 2007) दी। तथापि, एन.आई.आई. बढाई गई अवधि के अंदर क्वार्टर का निर्माण करने में भी असफल रहा तथा फिर से डी.डी.ए. को और समय बढ़ाने हेतु संपर्क किया (दिसम्बर 2008/जुलाई 2011)।

डी.डी.ए. ने दिसम्बर 2013 तक समय बढाया (मई 2012) जो ₹ 1.42 करोड़ के भुगतान की शर्त पर था (निर्माण में देरी हेतु ₹ 1.23 करोड़ के तौर पर कम्पोजीशन शुल्क तथा बकाया भूमि किराया के तौर पर ₹ 19.31 लाख)। एन.आई.आई. ने डी.डी.ए. को भूमि किराया तथा कम्पोजीशन शुल्क में छूट देने के लिए आवेदन दिया (मई 2012)।

अनुरोध पर विचार करते हुए (मई 2012), डी.डी.ए. ने कम्पोजीशन शुल्क के 75 प्रतिशत की छूट दी (जनवरी 2013) तथा दिसम्बर 2013 तक निर्माण कार्य हेतु समय बढ़ाने की अनुमति पर सहमति दी।

एन.आई.आई., फिर से निर्माण कार्य करने में असक्षम था तथा डी.डी.ए. को और समय बढ़ाने तथा संरचना शुल्क में पूर्ण छूट देने के लिए संपर्क किया (सितम्बर 2013)। डी.डी.ए. ने एन.आई.आई. के अनुरोध को रद्द कर दिया तथा सूचित किया (फरवरी 2014) कि कम्पोजीशन शुल्क के 25 प्रतिशत के भुगतान पर ही मार्च 2015 तक समय बढाने की मंजूरी दी जा सकती थी। तदनुसार, एन.आई.आई. ने मार्च 2017 तक समय बढ़ाने की मंजूरी के लिए एक अनुरोध के साथ ₹ 30.50 लाख का कम्पोजीशन शुल्क जमा किया (फरवरी 2014)।

डी.डी.ए. ने ₹ 41.14 लाख के अतिरिक्त कम्पोजीशन भुगतान के अधीन दिसम्बर 2015 तक समय बढ़ाने की अनुमति दी (जून 2014)। एन.आई.आई. ने डी.डी.ए. को संरचना शुल्क में छूट तथा निर्माण कार्य समापन हेतु दिसम्बर 2018 तक समय बढ़ाने के लिए एक और अनुरोध किया (अगस्त 2015)। डी.डी.ए. ने अनुरोध पर विचार करने के लिए, एन.आई.आई. से पंजीकृत वास्तुकार की ओर से एक प्रमाण पत्र जो यह दर्शाए कि निर्माण कार्य 50 प्रतिशत पूरा किया जा चुका है, प्रस्तुत करने को कहा (अक्टूबर 2015)।

एन.आई.आई. ने डी.डी.ए. को सूचित किया (नवम्बर 2015) कि स्टाफ आवास का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं किया जा सका था क्योंकि स्टाफ आवासों का आरेखण डी.डी.ए. द्वारा अभी अनुमोदित किया जाना है। इसके प्रत्युत्तर में, डी.डी.ए. ने कथित भूमि में निर्माण गतिविधियों को पूरा करने के लिए एन.आई.आई. द्वारा तैयार किए गए बजटीय प्रावधानों के विवरण हेतु पूछा (मार्च 2016)। एन.आई.आई. ने 2001-02 से 2017-18 की अवधि हेतु इसके बजट में आवासों के निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं बनाया था।

अगस्त 2017 को, एन.आई.आई. ने भूमि किराया**,** कम्पोजीशन शुल्क तथा डी.डी.ए. को देरी से किए गए भुगतान पर ब्याज के लिए कुल ₹ 1.51 करोड़[30] का भुगतान किया। इसके अलावा, इसने प्लाट की चारदीवारी के निर्माण पर ₹ 20.86 लाख का व्यय किया (2015-16)।

एन.आई.आई. ने कहा (मई 2016) कि डी.बी.टी. तथा दिल्ली आधारित स्वायत्त संस्थानों के साथ खरीदी गई भूमि के बेहतर उपयोग के लिए चर्चा की जा रही थी। एन.आई.आई. ने आगे बताया कि वह एक निश्चित निर्माण योजना प्रस्तुत कर चुका था तथा डी.डी.ए. को निर्माण गतिविधियों के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया था जो डी.डी.ए. के पास लंबित था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एन.आई.आई. के पास स्टाफ आवासों के निर्माण हेतु उस समय पर एक निश्चित योजना नहीं थी, जब इसने भूमि की माँग, भुगतान तथा भौतिक कब्ज़ा किया। यह इस तथ्य से साफ तौर पर स्पष्ट है कि 2001-02 से 2017-18 के दौरान इस उद्देश्य हेतु कोई बजट प्रावधान नहीं था। एन.आई.आई. ने कार्य हेतु वास्तुकार को फरवरी 2004 में नियुक्त किया जो भूमि पर कब्ज़े के बाद से तीन वर्ष से भी अधिक था। उसने जुलाई 2009 में डी.डी.ए. को अपनी इमारत योजना और चित्र प्रस्तुत की। परिणामस्वरूप, वर्ष 2000 में अधिग्रहित भूमि को 17 वर्षों से अधिक समय तक भी अपेक्षित उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सका, जो ₹ 3.93 करोड़[31] की अधिग्रहित भूमि के बेकार पड़े रहने तथा ब्याज व कम्पोजीशन शुल्क के समक्ष ₹ 35.89 लाख[32] के परिहार्य व्यय की ओर ले गया। इसके अतिरिक्त, डी.डी.ए. द्वारा की गई ₹ 41.41 लाख की मांग अनिर्णीत रही तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने तक एन.आई.आई. के ऊपर जुर्माने के भुगतान के रूप में देयता जारी रह सकती है।

---

30 भूमि किराया ₹ 1.15 करोड़, कम्पोजीशन शुल्क ₹ 30.50 लाख तथा ब्याज ₹ 5.39 लाख

31 भूमि किराया तथा भूमि की कीमत/परिधि दीवार का निर्माण

32 ब्याज ₹ 5.39 लाख, कम्पोजीशन शुल्क ₹ 30.50 लाख

मामला डी.बी.टी. को भेजा गया (नवम्बर 2017); दिसम्बर 2017 तक इसका उत्तर प्रतीक्षित था।